(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरीक्षण

निगरानी-5426/2018/गुना/भू.रा.

तुलसीबाई पुत्री छोटेलाल पत्नी सज्जन सिंह गुर्जर
निवासी ग्राम–सूजापुरा, तहसील–राघौगढ़
जिला–गुना म.प्र.

विरूद्ध

1. आदित्य पुत्र हरिसिंह गुर्जर
2. हरिसिंह पुत्र छोटेलाल गुर्जर
3. राजाराम पुत्र छोटेलाल गुर्जर
4. लक्ष्मण सिंह पुत्र छोटेलाल गुर्जर
5. बलवंत सिंह पुत्र छोटेलाल गुर्जर
   निवासी ग्राम–सूजापुरा, तहसील–राघौगढ़,
   जिला–गुना म.प्र.
6. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला–गुना

अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़, जिला–गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 56 अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 21/08/2018 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

...5/9/18 को प्रारंभिक तर्क हेतु ...14/9/2018 नियत।
5-9-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5426/2018/गुना/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-11-2018	आवेदिका की ओर से श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 6 शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । आवेदिका द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 13-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । तब तक इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन यथावत बढ़ाया जाता है । अध्यक्ष	